कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

E-mail:- dfo-lohardagga@gov.in Ph. & Fax - 06526 – 224285 /359028

पत्रांक 340 /लो0, दिनांक 27-03-25

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा–बगडू में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टी जोन एरिया सम्मिलित) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची का पत्रांक 190 दिनांक 03.03.2025 एवं विभागीय पत्रांक 448 दिनांक 05.02.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना प्रस्ताव का समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त निदेश का अनुपालन निम्नवत् हैः–

1	पूर्व में खण्डित 9.87 हे0 वनभूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता अभिकरण को है अथवा नहीं। यदि हाँ, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसके अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता है अथवा नहीं।	तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, के पत्रांक 2581 दिनांक 08.12.2009 के अनुसार पूर्व में खण्डित 9.87 हे0 वनभूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता अभिकरण को है एवं प्रयोक्ता अभिकरण को इसके अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है क्योंकि बगडू बॉक्साईट खदान का कुल क्षेत्र 19.56 हे0 है इसमें से 9.87 हे0 क्षेत्र वन सरंक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से पहले खण्डित किया गया था अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 तहत पूर्व खण्डित 9.87 हे0 वनभूमि की अपयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस क्षेत्र में खदान को रोपवे स्ट्रक्चर, इत्यादि क्रशर, एक्सप्लोसिव मैगजीनों, रोपवे ट्रेसल और क्रसर तक जाने वाली सड़क है जिसका निर्माण 1980 से पहले हुआ था। (अनु0– पत्रांक 2581 दिनांक–08.12.2009)
2	पूर्व समर्पित 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के Withdraw की कार्रवाई की गई अथवा नहीं।	पूर्व समर्पित 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के Withdrawal हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पत्रांक HIL/JH/Bag/1128 दिनांक 06.03.2025 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है जिसे अग्रतर कार्रवाई हेतु वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल गुमला को भेजी गई है।

आपका विश्वासी,
27/03/25

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।

Rfg. Ms Hindalco 9.69 Ha

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :- वन प्रमंण्डल पदाधिकारी, राँची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

E-mail:- dfolohardaga@rediffmail.com Ph. & Fax - 06526 - 224285, (O) Jharnet IP No. 36048

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ।।

पत्रांक 2581 लो०, दिनांक 08/12/09

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
राँची।

विषय :- लोहरदगा जिलान्तार्गत मौजा बगड़ू, भूसाड एवं हिसारी के 19.56 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समर्पित अपयोजन प्रस्ताव मे दशार्ये गये 9.87 हे0 खंडित वन भूमि के संबंध में।

प्रसंग :- वन एवं पर्यावनण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र सं0 3/वन भूमि–75/2006/1758 व0 प0 दिनांक 18.06.09 एवं आपका पत्रांक 1057 दिनांक 10.07.09

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रसांगिक पत्र में की गई पृच्छा की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0सं0	पृच्छा	उत्तर
1	यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान प्रस्ताव नई प्रस्ताव है या पूर्व में दिये गये अपयोजन का नवीकरण है ?	(I) अपयोजन प्रस्ताव मे दर्शाया गया 19.56 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव जिसमें 2.17 हे0 सेफ्टी जोन वाला वन भूमि भी शामिल है। उक्त प्रस्ताव नवीकरण प्रस्ताव है, जो वर्ष 1974 में स्वीकृत मेसर्स इण्डियन अलमुनियम कम्पनी के नवींकृत खनन पट्टा का अंश भाग है। (II) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में दर्शाया गया खण्डित क्षेत्र हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृति प्राप्त नहीं है, क्योकि ये खनन पट्टा 1980 के पूर्व का है।
2	जो क्षेत्र खण्डित दिखाया जा रहा है, यह नियमो तथा अनुमति के तहत खण्डित किया गया है या नियमों के विपरित ?	अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में दर्शाया गया खण्डित भाग जिसमे रोपवे, टसल, मैगजिन आदि अवस्थित है। हिण्डालको द्वारा समर्पित अभिलेखों से यह प्रतित होता है कि इण्डियन अलमुनियम (अब हिण्डालको) ने रोपवे निर्माण हेतु वन प्रमण्डल कार्यालय, छोटानागपूर राज एवं बिहार सरकार से क्रमशः वर्ष 1951, 1948 एवं 1950 में अनुमति प्राप्त की है। उसी प्रकार मैगजिन (विस्फोटक) लाईसेंस 1966 में प्राप्त किया है। अतः यह प्रतीत होता है कि विस्फोटक मैगजिन 1980 के पूर्व बनाया गया होगा। साथ ही खण्डित वन भू–भाग पर क्रेसर, टसल जैसे संलग्न उपकरण अवस्थित है।

अतः सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी

ह0/– 7/12/09

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची पश्चिमी वन प्रमंडल,
लोहरदगा।

Vikas

FC Act Baaru Bhusad 19.56 Ha.-4